न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनियां, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–2021 / 00113 (205 / 2015) 223 आर.टी.ए.

1. मु0 कमलादेवी धर्मपत्नी श्री रामेश्वर
2. कालूराम पुत्र श्री रामेश्वर

} जाति जाट निवासी जसाना, तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलांट

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र हीरा, जाति नायक, निवासी जसाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
2. नत्थू पुत्र चुनी, जाति नायक, निवासी जसाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
3. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।
4. उप पंजीयक नोहर, तहसील नोह, जिला हनुमानगढ।
5. मालाराम पुत्र श्री बनवारी, जाति चमार, निवासी सरदारगढिया, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भादरा, के
निर्णय दिनांक 17.11.2015, पं. सं0 328 / 2011 अनवान मु0 कमलादेवी आदि
बनाम नत्थुराम आदि

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश कुमार छिम्पा अभिभाषक, अपीलांट।
2. श्री राजेश रोकणा अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट 5
3. श्री राजेश कौशिक राजकीय अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:58:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 22.XI.2021

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 88 व 188 आरटीएक्ट के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें चक 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 404/369 की कुल 5.566 है0 भूमि में रेस्पो0 के पिता हीरा पुत्र सुखा की 240 हिस्सा अर्थात 12 बीघा भूमि थी। हीरा के देहान्त उपरान्त उसके एक मात्र उतराधिकारी रेस्पो0 सं0 1 से अपीलाण्ट संख्या 1 के पति व अपीलांट संख्या 2 पिता ने स्व0 श्री रामेश्वरलाल पुत्र रामकरण ने उक्त 12 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.11.57 को क्रय की थी। विक्रय–पत्र धारा 42 आरटीए से प्रतिबंधित नही था तथा सन् 1957 में धारा 42 आरटीए के प्रावधान लागू नहीं थे। ये विक्रय पत्र धारा 42 आरटीए के प्रावधानों के लागू होने से पूर्व का होने से उक्त विक्रय पत्र दिनांक 08–11–57 विधि सम्मत व प्रभावशील था। रेस्पो0 सं0 1 ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रसतुत किया एवं बैयनामा को धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार शून्य एवं विधि विरूद्ध होने का कथन कर वाद खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट का वाद खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के रजिस्टर्ड सम्मन की रसीद पेश हुई उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया शेष रेस्पोडेण्ट्स के अभिभाषक उपस्थित आये। अपीलाण्ट के अभिभाषक एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 5 के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध, अनुचित एवं कतई गलत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र में अपीलाण्ट ने स्पष्ट किया था कि बैयनामा दिनांक 08.11.1957 के समय धारा 42 आरटीए के प्रावधान लागू नहीं थे तथा यह बैयनामा कानूनन प्रतिबंधित नहीं था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सर्वप्रथम दिनांक 01.05.1964 को संशोधिन किया जाकर अनुसचित जाति एवं जनजाति के काश्तकार द्वारा स्वर्णजाति के व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्रों को प्रारम्भतः ही शून्य माना गया है तथा यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर अपीलाण्ट की तरफ से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय का कोई विविचेन नहीं किया। अपीलाण्ट का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत खारिज होने योग्य नहीं था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आरआर[illegible] आरआरडी 2012 पेज 710 एचसी का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:58:18 IST
Reason: SelfAttested

4. रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 की तरफ से राजकीय अभिभाषक ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

5. रेस्पो0 सं0 5 के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायायल का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बेयनामा के आधार पर था, जिसमें रेस्पोडेण्ट ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायलाय ने प्रतिवादी सं0 1 को अनुसूचित जाति का होने तथा वादीगण स्वगर्णजाती के होने के कारण धारा 42 आटीएकट में वर्जित होना मानते हुए वाद खारिज किया है। अपील में अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 08.11.1957 को किये जाने का कथन किया है जो धारा 42 आरटीए के प्रावधानों के लागू होने से पूर्व खरीद करने का तथ्य सामने आया है। इस न्यायालय का मत है कि प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में खारिज करने के बजाय तनकीयात कायम की जा जाकर एवं तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य एवं सुनवाई की जाकर निर्णय किया जाना चाहिए था। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.11.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय तक प्रश्गनत भूमि के संबंध में मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लोटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

22/11/21

(करतार सिंह पूनिया)
राजस्व अपील अधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:58:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 103/11 (2011/00215)

1. कलावती पत्नि श्री अन्नतराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. भंवरलाल
3. लालचंद
4. रणवीर सिंह
5. उर्मिला देवी

पि0 श्री अन्नतराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांटस

बनाम

1. उपवन संरक्षक, वन विभाग हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार राजस्व, पीलीबंगा।
3. राजस्थान सरकार जरिये राज पैरोकार राज।

—रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा प्रकरण सं0 131/2007

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलाण्टस, श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस, की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.03.2011 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.11.2021 को जारी की गई।

(करतार सिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2022.05.17 11:58:18 IST
Reason: SelfAttested